

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5616/2017

1. Ramgopal Sharma S/o Chunnilal Sharma, Aged 68 years,
2. Smt. Sushila Devi W/o Ramgopal Sharma, Aged about 62 years, Both are R/o Near Gopinathji Temple, Ward No. 16, Khandela, District Sikar.

----Appellants

Versus

1. Hemraj Sharma S/o Bajrang Lal Sharma, R/o Ghateshwar Dayra, Tehsil Khandela, District Sikar. (Registered Owner of Vehicle Maruti Swift No. RJ23-C-9719)
2. Hulash Chandra Sharma S/o Rakshpal Shastri, R/o Village Post Kotda, Tehsil Neemkathana, District Sikar. (Insurance Holder of Vehicle Maruti Swift No. RJ23-C-9719)
3. National Insurance Company Ltd, Through Divisional Manager, Divisional Office, Panch Batti M.I. Road, Jaipur. (Insurance Co. of Vehicle Maruti Swift No. RJ23-C-9719)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Khushwant Morwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Ritu Bansal, Adv. for Mr. Rajeev Bhushan Bansal, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

10/12/2025

1. अपीलार्थीगण रामगोपाल वगैरा द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-31/2014, रामगोपाल वगैरा बनाम हेमराज वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2017 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मृतक सुरेश कुमार की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 67,90,000/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याचीगण को कुल 5,61,000/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार 4500/— रुपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि मृतक वक्त घटना कपड़े के शोरूम में कार्य कर 10,000/— रुपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय वृद्धि बाबत कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलवाई गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में कम राशि दिलवाई गई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 22.01.2014 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को वक्त घटना कपड़े के शोरूम में कार्य कर 10,000/— रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 150/— रुपये प्रतिदिन की दर से 4,500/— रुपये मासिक निर्धारित की गई है। वक्त घटना मृतक का कपड़े की शोरूम में कार्य करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में हम, मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अकुशल श्रमिक होना मानते हुए घटना की तिथि को प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक की आय निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 189/— रुपये, तदनुसार मासिक आय 5,670/— रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। इस बिन्दु पर विद्वान अधिकरण का निर्णय संशोधित किये जाने योग्य है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 20 से 25 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईशोरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य: (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 5,670/— रुपये पर 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 5,670/— रुपये का 40 प्रतिशत 2,268/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 7,938/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गई है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। 7,938/— रुपये का 1/2 भाग 3,969/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 3,969/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 20 से 25 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट**

कॉर्पोरेशन व अन्य: (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 18 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 3,969/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $3,969 \times 12 \times 18 = 8,57,304$ /— रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को पुत्र के स्नेह, सहयोग व प्यार से वंचित हो जाने पर कंसोर्टियम की मद में 50,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य : (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य : (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या-1 व 2 को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में 48,000—48,000/— रुपये (कुल राशि 96,000/— रुपये) की राशि दिलाया जाना हम उचित समझते हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 25,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है। उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर

प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद में कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गयी है। उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. उक्तानुसार अपीलार्थीगण रामगोपाल वगैरा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	8,57,304 /— रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	96,000 /— रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 /— रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 /— रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	9,89,304 /— रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	5,61,000 /— रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	4,28,304 /— रुपये

12. तदनुसार अपीलार्थीगण रामगोपाल वगैरा की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को 5,61,000/— रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 9,89,304/— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि क्लेम प्रस्तुत करने की दिनांक से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिलवाई गई है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

14. तदनुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

15. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J